# न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

दिनांक 26/9/25

क्रमांक /कोर्ट/2025/855

श्री रूद्र मयंक तिवारी
निवासी ग्राम बिडयारी
तहसील बयाना, जिला भरतपुर
मो न0 9660478398

विषयः—अपील संख्या 61/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री रूद्र मयंक तिवारी बनाम लो.सू. अ. तहसीलदार बयाना** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

रूद्र मयंक तिवारी बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 6 / सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रूद्र मयंक तिवारी निवासी बिडयारी तहसील बयाना जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060477636122221 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार बयाना** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार बयाना** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | 771<br>5/9/25 |
| 19/9/25 | पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | |

## कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/61/2025

रूद्र मयंक तिवारी निवासी बिड़्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर पिन कोड 321401 मो. नं. 9660478398

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

**आदेश** दिनांक 19.09.2025

रूद्र मयंक तिवारी निवासी बिड़्यारी तहसील बयाना जिला भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060477636122221 से इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/771 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्र क्रमांक एल.आर./25/3530 दिनांक 18.09.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक एल.आर./25/3530 दिनांक 18.09.2025 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

गई बिन्दु वाईज सूचना का जबाब कार्यालय के पत्रांक एलआर / 25 / 2929 दिनांक 23.07.2025 से नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना के उक्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना द्वारा बिन्दु संख्या 1 का जबाव प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार दिया गया है एवं बिन्दु सं0 2 व 3 के सन्दर्भ में लिखा गया है कि बिन्दु सं0 2 व 3 से चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं काल्पनिक हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार ''.....लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करने या सूचना की व्याख्या करने या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रविष्टियों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।........''

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय तहसीलदार बयाना

क्रमांक/LR/25/3529

दिनांक :- 18/9/25

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
भरतपुर।

विषय :- अपील सं. 61/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 रूद्रमयंक तिवारी निवासी – बिड़यारी तहसील बयाना बनाम तहसीलदार बयाना

प्रसंग :- श्रीमान जी का पत्रांक/कोर्ट/25/771 दिनांक 04.9.25

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषय में निवेदन है कि कार्यालय हाजा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत प्रार्थी आवेदक रूद्र मयंक का आवेदन दिनांक 01.07.2025 को प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक/LR/25/2929 दिनांक 23-7-2025 को आवेदक के आवेदन में दर्ज पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा Regd. No. RR91679933IN दिनांक 24.7.2025 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

अतः श्रीमान जी अपील इसी स्तर खारिज फरमाई जावे।

सादर।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

कार्यालय तहसीलदार बयाना

क्रमांक/LR/25/2025

दिनांक 23/07/2025

प्रेषित :- श्री रूद्र मयंक तिवारी पुत्र मुरारीलाल तिवारी
निवासी- ग्राम & पोस्ट - बिड्यारी
तहसील - बयाना जिला - भरतपुर
हाल स्टेनोग्राफर
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत् प्रेषित आवेदन पत्र इस कार्यालय में 03.7.2025 को प्राप्त हुआ।

आप द्वारा चाही गयी सूचना खसरा नम्बर 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1565 ग्राम- चक बिड्यारी के सीमाज्ञान के संबंध में आदेश की प्रमाणित प्रति (क्रमांक/2024/सी.ज्ञा./1890 दि० 05-6-24 सीमाज्ञान हेतु पटवारी - बिड्यारी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट दिनांक 31.5.24 की प्रमाणित पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

सूचना से अवगत हों।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)
O/C